दिबांग परियोजना: निचले नदी-क्षेत्र के समुदायों की माँगें और बहुउद्देशीय संतुलन



समाचार-संदर्भ: 10 नवंबर 2026 (रिपोर्ट); समुदायों की माँगें 9 नवंबर 2026

खबरों में क्यों

द हिंदू की 10 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार असम और अरुणाचल प्रदेश के निचले नदी-क्षेत्र के समुदायों के एक गठबंधन ने दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना से जुड़े पुनर्वास, बाढ़-सुरक्षा और अन्य उपायों पर दोनों राज्य सरकारों से कार्रवाई माँगी है। रिपोर्ट में 9 नवंबर को दिए गए दस दिन के अल्टीमेटम का उल्लेख है। इन माँगों को स्वीकृत सरकारी अधिकार या अंतिम तकनीकी जोखिम-निर्णय की तरह न पढ़ें।

परियोजना की पहचान

- दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना अरुणाचल प्रदेश की दिबांग नदी पर NHPC की 2,880 मेगावाट क्षमता की परियोजना है।
- 9 मार्च 2024 के PIB विवरण में इसका स्थान लोअर दिबांग वैली जिले के मुनली गाँव के पास, प्रस्तावित बाँध की ऊँचाई 278 मीटर और निर्माण में रोलर-कम्पैक्टेड कंक्रीट तकनीक का उल्लेख है।
- उसी आधिकारिक विवरण में बिजली उत्पादन के साथ बाढ़-नियमन को प्रमुख उद्देश्यों में से एक बताया गया था। उसमें फरवरी 2032 का निर्धारित कमीशनिंग लक्ष्य दिया गया था, जिसे वर्तमान समाचार-रिपोर्ट भी दोहराती है। यह लक्ष्य है, पूरा हो चुका परिणाम नहीं।

समुदाय क्या चाहते हैं?

द हिंदू के अनुसार Dibang Dam Assam-Arunachal Downstream Action Alliance ने नीचे की ओर रहने वाले प्रत्येक परिवार के लिए परियोजना-प्रभावित परिवार (PAF) का दर्जा माँगा है। असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में जन-सुनवाई

तथा गाइड वॉल, तटबंध और सुरक्षा-दीवारों जैसे उपायों की माँग भी की गई है। गठबंधन ने माँगों की अनदेखी होने पर निर्माण-सामग्री और मशीनरी की आवाजाही रोकने की चेतावनी दी।

ये समुदायों की माँगें हैं। खबर में किसी आधिकारिक आदेश से प्रत्येक परिवार को PAF दर्जा मिल जाने या सभी प्रस्तावित सुरक्षा-कार्य मंजूर हो जाने की पुष्टि नहीं है। परियोजना का बाढ़-नियमन उद्देश्य होना और समुदायों की बाढ़/बाँध-टूटने की आशंकाएँ उठना अलग बातें हैं; दोनों को जाँच और संवाद में परखा जाना चाहिए।

निचले नदी-क्षेत्र को निर्णय में शामिल करना

बड़ी नदी-परियोजना के प्रभाव निर्माण-स्थल तक सीमित नहीं होते। बहाव, तलछट, बाढ़-सुरक्षा और आजीविका पर नीचे की ओर रहने वालों की चिंताएँ राज्य-सीमा के पार भी जा सकती हैं। यह विश्लेषण की रूपरेखा है, इस परियोजना के हर संभावित प्रभाव का पहले से सिद्ध वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं।

इसलिए सार्वजनिक परामर्श के साथ तकनीकी जोखिम-सूचना, पात्रता की स्पष्ट कसौटी और शिकायत-निवारण आवश्यक हैं। ऊर्जा उत्पादन तथा बाढ़-नियमन के अपेक्षित लाभों को लोगों के पुनर्वास और सुरक्षा की समीक्षा के स्थानापन्न के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए।

मुख्य परीक्षा (Mains) हेतु

प्रश्न: “बड़ी नदी-परियोजनाओं की स्वीकार्यता निर्माण-स्थल से आगे, निचले नदी-क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा और भागीदारी पर निर्भर करती है।” दिबांग परियोजना के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: दिबांग परियोजना बिजली उत्पादन और बाढ़-नियमन की बहुउद्देशीय योजना है। निचले क्षेत्र के समुदायों की माँगें इसके लाभों और जोखिमों के वितरण पर ध्यान खींचती हैं।

मुख्य भाग में:

- **प्रभावों का क्षेत्र:** नदी का बहाव प्रशासनिक सीमाओं में नहीं बँधता; आकलन में नीचे की ओर रहने वाले लोगों का पक्ष शामिल होना चाहिए।
- **सूचना और सुनवाई:** जन-सुनवाई, समझने योग्य जोखिम-सूचना तथा तकनीकी प्रश्नों के उत्तर विश्वास बढ़ा सकते हैं।
- **पुनर्वास और पात्रता:** PAF दर्जे की माँग को नीति के वास्तविक नियमों और प्रमाण के अनुसार परखें; माँग को स्वीकृति मान लेना गलत है।
- **सुरक्षा और जवाबदेही:** संरक्षण-कार्यों, निगरानी, शिकायतों और आपात तैयारी की जिम्मेदारियाँ स्पष्ट हों।
- **संघीय सहयोग:** अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच संवाद से निर्माण-क्षेत्र और निचले क्षेत्र की अलग चिंताओं को जोड़ा जा सकता है।

निष्कर्ष में: ऊर्जा-लाभ और समुदायों की सुरक्षा को विरोधी ध्रुव मानने के बजाय पारदर्शी आकलन, भागीदारी और उत्तरदायी क्रियान्वयन से जोड़ना चाहिए।

आगे की राह

दोनों सरकारों की औपचारिक प्रतिक्रिया, जन-सुनवाई और सुरक्षा/पुनर्वास संबंधी निर्णय देखने योग्य होंगे। रिपोर्ट के आधार पर अल्टीमेटम की निश्चित अंतिम तारीख या माँगें मान लिए जाने की घोषणा नहीं की गई है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1: दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन 1: इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश की दिबांग नदी से है।

कथन 2: इसकी नियोजित क्षमता 2,880 मेगावाट है।

कथन 3: इस परियोजना का उद्देश्य केवल बिजली उत्पादन है, बाढ़-नियमन नहीं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a)

- कथन 1 सही है: परियोजना अरुणाचल प्रदेश की दिबांग नदी पर है।
- कथन 2 सही है: नियोजित क्षमता 2,880 मेगावाट है।
- कथन 3 गलत है: PIB बिजली उत्पादन के अलावा बाढ़-नियमन को प्रमुख उद्देश्यों में से एक बताता है।

प्रश्न 2: किसी समुदाय द्वारा परियोजना-प्रभावित परिवार का दर्जा माँगने की खबर से कौन-सा निष्कर्ष उचित है?

(a) प्रत्येक परिवार को कानूनी दर्जा और मुआवजा स्वतः मिल चुका है।

(b) सरकार ने परियोजना रद्द कर दी है।

(c) दर्जे और पुनर्वास पर माँग उठी है; स्वीकृति अलग आधिकारिक निर्णय से जाँची जाएगी।

(d) तकनीकी जोखिम का अंतिम निष्कर्ष निकल चुका है।

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (c)

द हिंदू की रिपोर्ट माँगों और चेतावनी का वर्णन करती है। माँग उठना सरकारी स्वीकृति, परियोजना रद्द होने या तकनीकी निष्कर्ष सिद्ध होने के समान नहीं है।

पाठ्यक्रम मानचित्रण:
मुख्य परीक्षा: GS-III – ऊर्जा, पर्यावरण और आपदा-प्रबंधन
मुख्य परीक्षा: GS-II – संघीय सहयोग और जन-भागीदारी

संबंधित अध्ययन

- सियांग और सियोम: जलविद्युत की अलग परियोजनाएँ

- केन-बेतवा परियोजना: जल सुरक्षा और पुनर्वास की कसौटी

स्रोत

PIB, 9 मार्च 2024 – परियोजना की क्षमता, स्थान और बहुउद्देशीय स्वरूप

द हिंदू, 10 नवंबर 2026 – निचले क्षेत्र के समुदायों की माँगें